न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुयान मोहम्मद सदीक बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या 141/2025
निर्णय दिनांक ....14/07/2025....

मोहम्मद सदीक पुत्र सलेमान जाति कसाई निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थी/वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी/प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

उपस्थितिः–

1. श्री साजिद खान (वकील वादी)
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 463 के खसरा सं. 533 तादादी 2.9336 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के भाई का नाम लाला पुत्र सलेमान अंकित है। वादी का कथन है कि वादी के भाई का वास्तविक नाम मोहम्मद फारूक पुत्र सलेमान है के स्थान पर राजस्व रिकार्ड कर्मचारियों ने वादी के भाई का नाम लाला पुत्र सलेमान सहवन से दर्ज कर दिया गया जो गलत है इसके स्थान पर मोहम्मद फारूक पुत्र सलेमान दर्ज होना चाहिए तथा उक्त खातेदारी के अलावा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी के भाई का नाम मोहम्मद फारूक पुत्र सलेमान जाति कसाई निवासी तारानगर जिला चूरू दर्ज है वादी के भाई का देहान्त दिनांक 15.03.2008 को हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है तथा अविवाहित लाऔलाद फौत हो गया था। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान व भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 463 के खसरा सं. 533 तादादी 2.9336 हैक्ट. में वादी के भाई का नाम मोहम्मद फारूक पुत्र सलेमान किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी के भाई का नाम लाला पुत्र सलेमान व मोहम्मद फारूक पुत्र सलेमान दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र से वादी के भाई का नाम मोहम्मद फारूक पुत्र सलेमान पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लाला पुत्र सलेमान अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 463 के खसरा सं. 533 तादादी 2.9336 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के भाई का नाम लाला पुत्र सलेमान Delete कर इसके स्थान पर मोहम्मद फारूक पुत्र सलेमान अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....14/07/2025.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)